

छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्यिक विभाग

मंत्रालय

-: अधिसूचना :-

क्रमांक एफ 1-22-2076-वा.कटीपय,

रायपुर, दिनांक 16-2-2001

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 § 28 सन् 2000 को
धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार,
एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-

:-आदेश :-

1. § 18 यह आदेश विधियों/नियमों का अनुकूलन आदेश § 28 सन् 2000, कहलाएगा।
§ 28 यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा।
2. समय समय पर कथा संशोधित ऐसी विधियाँ/नियम, जो इस आदेश को अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्वारा, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है/। उपान्तरणों के अध्ययन रहते हुए समस्त विधियों/नियमों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहाँ कहीं भी वे आर हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएँ।
तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे संशोधित विधियों/नियमों में
3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों/नियमों या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या को कोई कार्रवाई शाकसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र को सम्मिलित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त

:--अनुसूची:--

अनुक्रमिक	विधियों/नियमों के नाम
1.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम 1939
2.	दस्तावेज लेखक लाइसेंस नियम, 1966.
3.	मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1982.
4.	अभिलेख नाशकरण नियम, 1983.
5.	मध्यप्रदेश स्टाम्पस क्लब, 1942 इसेन्द्रल प्राविन्सेस स्पण्ड बरार स्टाम्प क्लब, 1942
6.	मध्यप्रदेश लिखतों का न्यून-मूल्यांकन निवारण नियम 1975.
7.	मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक लिखतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

के.ज.रा.रा.रा.

उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक परिसर

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

No.F.1-22-2000-Com.7 V, Raipur, Dated 16.2.2001

In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No.28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :-

O R D E R

1. (1) This Order may be called the Adaptation of ~~xxxxxx~~ Laws/Rules Order, 2000 (No.28 of 2000).
(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.
2. The Laws/Rules as amended from time to time, specified in the Schedule to this Order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of State of Chhattisgarh, are hereby extended to and ~~shall~~ shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the laws/rules for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur, the word "Chhattisgarh" shall be substituted.
3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule form, ~~xxxx~~ regulation, certificate or licence) in exercise of the


// 2 //

powers conferred by or under the laws/rules specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S.No.	Name of the Laws/Rules
1.	Madhya Pradesh Registration Rules, 1939.
2.	Document Writer Licence Rules, 1966.
3.	Madhya Pradesh Upkar Act, 1982.
4.	Record Districk Distruction Rules, 1983.
5.	Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942 (Central Provinces and Berar Stamp Rules 1942).
6.	Madhya Pradesh Prevention of under valuation of Instrument Rules, 1975.
7.	Madhya Pradesh Preparation and revision of Market value Guide Lines Rules, 2000.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,



(K.R. Misra)
Deputy Secretary